मनुस्मृति

प्रस्तावना

संस्कृत साहित्य के विकास की एक विशिष्ट अवधि की स्मृति ही है इस पुस्तक में । हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र की शाब्दिक परंपरा का सबसे पहला कार्य मनुस्मृति को कहा जा सकता है, यह हिंदू विधि पर एक मानक काम है। भारतीय परंपरा में सर्वसम्मति से मानव जाति के पहले पूर्वज के रूप में मनु को मानते है | मनु को समाज के सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का संस्थापक माना गया है। वेदों के अनुसार मनु संस्कृत साहित्य की सब विधाओं के प्रथम विधि विशेषज्ञ रहे हैं |

वेदों में ऋषियों ने मनु को पिता संबोधित किया है(यह नहीं बताया गया कि किनका पिता) (ऋगवेद ३३.१३ यनी मनुर अवृनिता पिता न:) ऋगवेद में इंद्र को असुरों के अनेक ठिकानों का एवं दस्यु संहारक बताया गया है, एवं मनु जो की स्वर्ग का शासक है उसे उसने वैभवता लौटाई|

तैतरीय संहिता में कहा है, मनु जो भी कहते हैं वही औषधि है, यह भी कहा गया की मानव मनु की प्रजा हैं, सतपथ ब्राह्मण हमें मनु की कथा बतातें हैं | निरुक्त(भाग-III) में एक वार्तानुसार पुत्र एवं पुत्रियों के अधिकार की चर्चा है महाभारत में कई स्थान मे मनु को जिक्र हुआ है कुछ मै मात्र मनु, कुछ में स्वयम्भू मनु, कुछ जगहों में प्रचेतस मनु |

अंग्रेजी में सामान्यतः मनु को क्या तो वेदों का एक ऋषि या मनु को भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग पर उनके नियम कानून के अनुसार ही जाना जाता है, १७९४ ईस्वी में सर्वप्रथम एक भाषाविद, कलकत्ता के न्यायधीश सर विलिअम जोंस ने अनुवाद किया, यह आलेख मनु के एक साधु को दिए गए प्रवचन का हिस्सा था, इस प्रकार मनु भविष्य के सभी सन्दर्भों का केंद्र बिंदु बन गए, हाँ इनके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है बस इतनी की ये उत्तर भारत के किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे | मनुस्मृति के अनेकोनेक भाष्य उपलब्ध हैं पर भारुची एवं मेघतिथि के भाष्य सबसे प्राचीन माने जाते हैं, पी.वी.काने ने इन भाष्यों का लेखन काल 10वी से 11वी सदी माना है, जबकि अन्य पाश्चात्य लेखकों ने ६ ठी से ८ वी सदी माना है, अतः मैं मानता हूँ की भरुची का भाष्य ७ वी सदी के पास का होना चाहिए. इन भाष्यों में ज्यादातर श्लोक जिनका भाष्य लिखा गया है वे राजा के अधिकार कर्तव्य और धर्म से सम्बंधित हैं, पाणिनि व्याकरण विधानुतर्गत मनुस्मृति साहित्य का अनुपम उदहारण है, १२ अध्यायों में लिखा गया यह ग्रन्थ समय समय पर सर्वाधिक चर्चा में रहा एवं विरोधाभास भी इसी में रहा, विषय वस्तु को मैं बाद में चर्चा करूँगा पहले मैं बताना चाहूँगा की जिस समाज का विवरण मनुस्मृति में है वह समाज बहुत ही ज्यादा सभ्य, शिक्षित एवं सांस्कृतिक समाज है, अतः इस समाज में विभिन्न वर्गों के लोगों को वर्ण में बाँट कर उसे किस पद्धिति एवं नियम से आचार विचार रहना खाना वर्ताव करना चाहिए उसकी पूरी रुल बुक बनाई गयी है, वास्तु शास्त्र के नियमों का भी विस्तार से उल्लेख है एवं शायद गृहनिर्माण के लिए वास्तु शब्द यही से प्रचलित हुआ है, गृहस्थ के नियम उनके ५ त्यांग, ब्रह्म, देव, भूत, पित्त, अतिथि (iii ६९-७०) इन श्लोकों में बताये गए हैं, अतः इस प्रकार समस्त कर्मकांड को विस्तृत किया गया है,

इन १२ अध्यायों में क्या लिखा है इसका संक्षिप्त ज्ञान हम लें, :

सर्व प्रथम विषय वस्तु के सकारात्मक पहलु को कुछ विस्तार से समझते हैं ,जो की निम्नलिखित क्रमांक में है :

1. वर्णधर्म की शिक्षा के लिए ऋषिगण मनु के पास जाते हैं; मनु बहुत कुछ सांख्य मत के अनुसार आत्मरूप से स्थित भगवान् से विश्व-सृष्टि का विवरण देते हैं; विराट् की उत्पत्ति, विराट् से मनु, मनु से दस ऋषियों की सृष्टि हुई; भाँति-भाँति के जीव, यथा- मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि; ब्रह्मा वे धर्म-शिक्षा मनु को दी, मनु ने ऋषियों को शिक्षित किया; मनु ने भृगु को ऋषियों को धर्म की शिक्षा देने का आदेश दिया; स्वायंभुव मनु से छः अन्य मनु उत्पन्न हुए; निमेष से वर्ष तक की काल इकाइयाँ, चारों युग एवं उनके सन्ध्या-प्रकाश; एक सहस्त्र युग ब्रह्मा के एक दिन के बराबर हैं; मन्वन्तर, प्रलय का विस्तार; चारों युगों में क्रमशः धर्मावनति; चारों युगों में विभिन्न धर्म एवं लक्ष्य; चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य; ब्राह्मणों एवं मनु के शास्त्र की स्तुति; आचार परमोच्च धर्म है; सम्पूर्ण शास्त्र की विषयसूची;
2. धर्म-परिभाषा; धर्म के उपादान हैं वेद, स्मृति, भद्र लोगों का आचार, आत्मतुष्टि; इस शास्त्र के लिए किसका अधिकार है; ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षिदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त की सीमाएँ; संस्कार क्यों आवश्यक हैं; ऐसे संस्कार, यथा- जातकर्म, नामधेय, चूड़ाकर्म, उपनयन; वर्णों के उपनयन का उचित काल, उचित मेखला, पवित्र जनेऊ, तीन वर्णों के ब्रह्मचारियों के लिए दण्ड, मृगछाला, ब्रह्मचारी के कर्तव्य एवं आचरण;
3. 36, 18 एवं 9 वर्षों का ब्रह्मचर्य; समावर्तन, विवाह; विवाहयोग्य लड़की; ब्राह्मण चारों वर्णों की लड़कियों से विवाह कर सकता है; आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा, किस जाति के लिए कौन विवाह उपयुक्त है, पति-पत्नी के कर्तव्य; नारी-स्तुति, पंचाह्निक; गृहस्थ-जीवन की प्रशंसा, अतिथि-सत्कार, मधुपर्क; श्राद्ध, श्राद्ध में कौन निमन्त्रित नहीं होते;
4. गृहस्थ की जीवन-विधि एवं वृत्ति; स्नातक-आचार-विधि, अनध्याय-नियम; वर्जित एवं अवर्जित भोज्य एवं पेय के लिए नियम; कौन-से मांस एवं तरकारियाँ खानी चाहिए; जन्म-मरण पर अशुद्धिकाल, सपिण्ड एवं समानोदक की परिभाषा; विभिन्न प्रकार से विभिन्न वस्तुओं के स्पर्श से पवित्रीकरण, पत्नी एवं विधवा के कर्तव्य; (यह स्पष्ट रूप से बताता है की ब्राह्मण का शाकाहारी होना अनिवार्य नहीं था, इस में यह भी वर्णित है की अगर शाकाहारी हो तो उत्तम अन्यथा यह भक्ष्य है)
5. वानप्रस्थ होने का काल, उसकी जीवनचर्या, परिव्राजक एवं उसके कर्तव्य; गृहस्थ-स्तुति:राजधर्म, दण्ड-स्तुति, राजा के लिए चार विद्याएँ, काम से उत्पन्न राजा के दस अवगुण एवं क्रोध से उत्पन्न आठ अवगुण (दोष); मन्त्रि-परिषद की रचना, दूत के गुण (पात्रता), दुर्ग एवं राजधानी, पुरुष एवं विविध विभागों के अध्यक्ष; युद्ध-नियम; साम.दान, भेद एवं दण्ड नामक चार साधन; ग्राममुखिया से ऊपर वाले राज्याधिकारी; कर-नियम; बारह राजाओं के मण्डल की रचना; छः गुण- संधि, युद्ध-स्थिति , शत्रु पर आक्रमण, आसन, शरण लेना एवं द्वैध; विजयी के कर्तव्य;
6. न्यायशासन-सम्बन्धी राजा के कर्तव्य ; व्यवहारों के 18 नाम, राजा एवं न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश; सभा; सभा-रचना; नाबालिगों, विधवाओं, असहाय लोगों, कोष आदि को दने के लिए राजा का धर्म; चोरी गये हुए धन का पता लगाने में राजा का कर्तव्य; दिये हुए ऋण को प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के साधन; स्थितियाँ जिनके कारण अधिकारी मुक़दमा हार जाता है, साक्षियों की पात्रता, साक्ष्य के लिए अयोग्य व्यक्ति, शपथ, झूठी गवाही के लिए अर्थ-दण्ड, शारीरिक दण्ड के ढंग, शारीरिक दण्ड से ब्राह्मणों को छुटकारा; तौल एवं तटखरे;

न्यूनतम, मध्यम एवं अधिकतम अर्थ-दण्ड; ब्याज-दर, प्रतिज्ञाएँ, प्रतिकूल (बिपक्षी के) अधिकार से प्रतिज्ञा, सीमा, नाबालिग की भूमि-सम्पत्ति, धन-संग्रह, राजा की सम्पत्ति आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता; दामदुपट का नियम; बन्धक; पिता के कौन-से ऋण पुत्र नहीं देगा; सभी लेन-देन को कपटाचार एवं बलप्रयोग नष्ट कर देता है; जो स्वामी नहीं है उसके द्वारा विक्रय; स्वत्व एवं अधिकार; साक्षा; प्रत्यादान; मज़दूरी का न देना; परम्पराविरोध; विक्रय-विलोप; स्वामी एवं गोरक्षक के बीच का झगड़ा , गाँव के इर्द-गिर्द के चरागाह; सीमा-संघर्ष गालियाँ (अपशब्द), अपवाद एवं पिशुन-वचन; आक्रमण, मर्दन एवं कुचेष्टज्ञ; पृष्ठभाग पर कोड़ा मारना; चोरी, साहस (यथा हत्या, डकैती आदि के कार्य); स्वरक्षा का अधिकार; ब्राह्मण कब मारा जा सकता है; व्यभिचार एवं बलात्कार, ब्राह्मण के लिए मृत्यु-दण्ड नहीं, प्रत्युत देश-निकाला; माता-पिता, पत्नी, बच्चे कभी भी त्याज्य नहीं हैं; चुंगियाँ एवं एकाधिकार; दासों के सात प्रकार,

7. पति-पत्नी के न्याय्य (व्यवहारानुकूल) कर्तव्य, स्त्रियों की भर्त्सना, पातिव्रत की स्तुति; बच्चा किसको मिलना चाहिए, जनक को या जिसकी पत्नी से वह उत्पन्न हुआ है; नियोग का विवरण एवं उसकी भर्त्सना; प्रथम पत्नी का कब अतिक्रमण किया जा सकता है; विवाह की अवस्था; बँटवारा, इसकी अवधि, ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग; पुत्रिका, पुत्री का पुत्र, गोद का पुत्र, शूद्र पत्नी सपिण्ड उत्तराधिकार पाता है; सकुल्य, गुरु एवं शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में; ब्राह्मण के धन को छोड़कर अन्य किसी के धन का अन्तिम उत्तराधिकारी राजा है; स्त्रीधन के प्रकार; स्त्रीधन का उत्तराधिकार; बसीयत से हटाने के कारण; किस सम्पात्ति का बँटवारा नहीं होता; विद्या के लाभ, पुनर्मिलन; माता एवं पितामह उत्तराधिकारी के रूप में; बाँट दी जानेवाली सम्पत्ति; जुआ एवं पुरस्कार, ये राजा द्वारा बन्द कर दिये जाने चाहिए; पंच महापाप, उनके लिए प्रायश्चित्त; ज्ञात एवं अज्ञात (गुप्त) चोर; बन्दीगृह; राज्य के सात अंग; वैश्य एवं शूद्र के कर्तव्य;
8. केवल ब्राह्मण ही पढ़ा सकता है; मिश्रित जातियाँ; म्लेच्छ, कम्बोज, यवन, शक, सबके लिए आचार-नियम; चारों वर्णों के विशेषाधिकार एवं कर्तव्य, विपर्ति में ब्राह्मण की वृत्ति के साधन; ब्राह्मण कौन-से पदार्थ न पदार्थ न विक्रय करे; जीविका-प्राप्ति एवं उसके साधन के सात उचित ढंग;(यहाँ पुनः कहना चाहूँगा की ब्राहमणवाद को श्रेष्ठ घोषित करने की यह भी एक प्रक्रिया थी)
9. दान-स्तुति; प्रायश्चित् के बारे में विविध मत; बहुत-से देखे हुए प्रतिफल; पूर्वजन्म के पाप के कारण रोग एवं शरीर-दोष; पंच नैतिक पाप एवं उनके लिए प्रायश्चित्त; उपपातक और उनके लिए प्रायश्चित्त; सान्तयन, पराक, चान्द्रायण जैसे प्रायश्चित्त; पापनाशक पवित्र मन्त्र;
10. कर्म पर विवेचन; क्षेत्रज्ञ, भूतात्मा, जीव; नरक-कष्ट; सत्त्व, रजस् एवं तमस् नामक तीन गुण; नि:श्रैयस की उत्पत्ति किससे होती है; आनन्द का सर्वोच्च साधन है आत्म-ज्ञान; प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्म; फलप्राप्ति की इच्छा से रहित होकर जो कर्म किया जाय वही निवृत्त है; वेद-स्तुति; तर्क का स्थान; शिष्ट एवं परिषद्; मानव शास्त्र के अध्ययन का फल।

मनुस्मृति में वर्णित साहित्य

साहित्य के बारे में देखें तो यह पाएंगे की मनु को या मनु के द्वारा कथित लेखक को अपने पूर्व के साहित्य का पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने तीन वेदों के नाम लिये हैं

और अथर्ववेद को अथर्वांगिरसी श्रुति[18] कहा है। मनुस्मृति में आरण्यक, छः वेदांगों, धर्मशास्त्रों की चर्चा आयी है। मनु ने अत्रि, उतथ्यपुत्र (गौतम), भृगु शौन्क, वसिष्ठ, वैखानस आदि धर्मशास्त्रकारों का उल्लेख किया है। उन्होंने आख्याना, इतिहास, पुराण एवं खिलों का उल्लेख किया है। मनु ने वेदान्त की भाँति ब्रह्म का वर्णन किया है; लेकिन यहाँ यह भी कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने उपनिषद की ओर संकेत किया है। उन्होंने 'वेदवाह्या: स्मृतय: की चर्चा करके मानो यह दर्शाया है कि उन्हें विरोधी पुस्तकों का पता था। हो सकता है कि ऐसा लिखकर उन्होंने बौद्धों, जैनों आदि की ओर संकेत किया है। उन्होंने धर्म-विरोधियों और उनकी व्यावसायिक श्रेणियों का उल्लेख किया है। उन्होंने आस्तिकता एवं वेदों की निन्दा कि ओर भी संकेत किया है और बहुत प्रकार की बोलियों की चर्चा की है। उन्होंने 'केचित्', 'अपरे', 'अन्ये' कहकर अन्य लेखकों के मत का उद्घाटन किया है। बुहलर का कथन है कि पहले एक मानवधर्मसूत्र था, जिसका रूपान्तर मनुस्मृति में हुआ है। किन्तु, वास्तव में यह एक कोरी कल्पना है, क्योंकि मानवधर्मसूत्र था ही नहीं।

कुछ प्रमुख सूत्र जो मनुस्मृति में लिखे गए हैं उन पर विचार करते हैं

धृति क्षमा दमोस्तेयं, शौचं इन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यं अक्रोधो, दसकं धर्म लक्षणम ॥
अर्थ - धर्म के दस लक्षण हैं - धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इन्द्रियों को वश मे रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना (अक्रोध)। यही सूत्र कमोबेश श्रीमद भागवत में भी है
नास्य छिद्रं परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु।
गूहेत्कूर्म इवांगानि रक्षेद्विवरमात्मन: ॥
वकवच्चिन्तयेदर्थान् सिंहवच्च पराक्रमेत्।
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत् ॥
अर्थ - कोई शत्रु अपने छिद्र (निर्बलता) को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे, जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है, वैसे ही शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रक्खें। जैसे बगुला ध्यानमग्न होकर मछली पकड़ने को ताकता है, वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करें, शस्त्र और बल की वृद्धि कर के शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करे। चीते के समान छिप कर शत्रुओं को पकड़े और समीप से आये बलवान शत्रुओं से शश (खरगोश) के समान दूर भाग जाये और बाद में उनको छल से पकड़े। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मिलता जुलता सूत्र है
कुछ प्रमुख श्लोक जो जीवन नियमावली बताते हैं:
नोच्छिष्ठं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याचैव तथान्तरा।
न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्ट: क्वचिद् व्रजेत् ॥
अर्थ - न किसी को अपना जूंठा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे, न अधिक भोजन करे और न भोजन किये पश्चात हाथ-मुंह धोये बिना कहीं इधर-उधर जाये।
तैलक्षौमे चिताधूमे मिथुने क्षौरकर्मणि।
तावद्भवति चांडाल: यावद् स्नानं न समाचरेत ॥
अर्थ - तेल-मालिश के उपरांत, चिता के धूएें में रहने के बाद, मिथुन (संभोग) के बाद और केश-मुंडन के पश्चात - व्यक्ति तब तक चांडाल (अपवित्र) रहता है जब तक स्नान नहीं कर लेता - मतलब इन कामों के बाद नहाना जरूरी है।

अनुमंता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका: ॥
अर्थ - अनुमति = मारने की आज्ञा देने, मांस के काटने, पशु आदि के मारने, उनको मारने के लिए लेने और बेचने, मांस के पकाने, परोसने और खाने वाले - ये आठों प्रकार के मनुष्य घातक, हिंसक अर्थात् ये सब एक समान पापी हैं।

मनुस्मृति पर आक्षेप

मनु स्मृति की जब चर्चा होती है तो कई प्रश्न आते हैं, राजनैतिक कारणों से इसे बहुत गलत ठहराया गया है, यह एक प्रश्न वैदिक साहित्य एवं वैदिक पद्धति को शक के घेरे में ले लेता है, कुछ प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आते हैं जिसकी चर्चा करना चाहूँगा, १, मनुस्मृति के लेखन का काल, २, किस लिए लिखी , 3 इसका मंतव्य क्या है |
१.लैखन का समय : जैसा की कहा जाता है की यह मनु ने कही अतः यह श्रुति ग्रन्थ है, मैं ऐसा नहीं मानता, मेरे अनुसार इसके लेखन का समय चाणक्य निति के लेखन के समय के बाद का होना चाहिए, क्योंकि मनु स्मृति में जिन मुद्राओं का एवं नापतोल का वर्णन है वह उस समय की हैं,
८ त्रसरेणु =१ लिक्षा, 3 लिक्षा=१ राइ, 3 राई= १ सफ़ेद सरसों
६ सरसों =१ मध्यमयव, ६ मध्यम्यव=१ कृष्णल ५ कृष्णल= १ माघ
१६ माष=१ सुवर्ण , ४ सुवर्ण=१ पल, १०= १ धरण
२ कृष्णल= १ चाँदी का भाषा १६ चाँदी की भाषा = १ धरण (पण)
१० धरण = १ चांदी का शतमान,
२५० पण = प्रथम साहस, ५०० पण = माध्यम साहस, १००० पण= उत्तम साहस
मकान के झरोखों से सूर्य किरणें दिखती हैं उनमे धुल के कण धिकते हैं उस एक धुल के कण को त्रसरेणु कहते हैं
दुसरे, जिस प्रकार विवरण है वह उस समय का लगता है जब वर्ण व्यवस्था अपने सबसे ख़राब समय पर थी एवं ब्राहमण-वाद छाया हुआ था एवं ब्राहमण सर्वोपरि थी न केवल अतः पुरे ग्रन्थ में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, कई स्थानों में शुद्र वर्ण पर असहिष्णुता दिखती है, एवं असमान दंड विधा बताई गयी है, इतिहास को खंगाल कर देखें तो पाएंगे की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का समय (१००-२०० ईस्वी) ऐसा था जब छूत, ब्राहमण, छत्रिय इत्यादि का सबसे ज्यादा भेदभाव प्रारंभ हुआ था | यह वही समय है जब चाणक्य की निति का धूमिल होना प्रारंभ हुआ था, दूसरा मेरा तर्क यह भी है कि मनुस्मृति में चाणक्य निति के सारे श्लोक हैं एवं साथ ही कर्मकांड संहिता को जोड़ दिया गया है, अथार्थ मनुस्मृति = चाणक्य निति + कर्मकांड नियमावली | इससे स्पष्ट है की यह चाणक्य निति के बाद कभी लिखी गयी है, एक शोध में यह बी लिखा है जिसका विवरण मैं बाद में दूंगा की इसका सबसे पुराना भाष्य भारुची द्वारा ७०० ईस्वी के आसपास लिखा गया था, किसी भी ग्रन्थ का भाष्य ग्रन्थ के आने के बाद अविलम्ब लिखा जाता है जब यह चर्चा में आये, इन सब तथ्यों के अधर पर इसे २००-३०० ईस्वी के पास लिखा होना चाहिए |
अब हम आन्तरिक एवं बाह्य साक्षियों के आधार पर मनुस्मृति के काल-निर्णय का प्रयत्न करेंगे। प्रथमत: हम बाह्य साक्षियाँ लेते हैं। मनुस्मृति की सबसे प्राचीन टीका जैसे ऊपर बताया भरुची की है तत्पशचात मेघातिथि की हैं, जिसका काल है 900 ई.। याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार विश्वरूप ने मनुस्मृति के जो लगभग 200 श्लोक उद्धृत किये किये हैं, वे सब बारहों अध्यायों के हैं। दोनों व्याख्याकारों ने वर्तमान मनुस्मृति से ही उद्धरण लिये हैं। वेदान्तसूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने कहा है।

कुमारिल के तन्त्रवार्तिक में मनुस्मृति को सभी स्मृतियों से और गौतम धर्मसूत्र से भी प्राचीन कहा है। मृच्छकटिक ने पापी ब्राह्मण के दण्ड के विषय में मनु का हवाला दिया है, और कहा है कि पापी ब्राह्मण को मृत्यु-दण्ड न देकर देश-निष्कासन-दण्ड देना चाहिए। वलभीराज घारसेन के एक अभिलेख से पता चलता है कि सन् 571 ई. में वर्तमान मनुस्मृति उपस्थित थी । जैमिनि सूत्र के भाष्यकार शबरस्वामी ने भी, जो 500 ई. के बाद के नहीं हो सकते, प्रत्युत पहले के ही हो सकते हैं, मनुस्मृति को उद्धृत किया है। अपरार्क एवं कुल्लूक ने भविष्य पुराण द्वारा उद्धृत मनुस्मृति के श्लोकों की चर्चा की है। बृहस्पति ने, जिनका काल है 500 ई., मनुस्मृति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। बृहस्पति ने जो कुछ उद्धृत किया है वह वर्तमान मनुस्मृति में पाया जाता है। स्मृतिचन्द्रिका में उल्लिखित अङ्गिरा ने मनु के धर्मशास्त्र की चर्चा की है। अश्वघोष की वज्र सूचिकोपनिषद में मानव धर्म के कुछ ऐसे उद्धरण हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में पाये जाते हैं, कुछ ऐसे भी है, जो नहीं मिलते। रामायण में वर्तमान मनुस्मृति की बातें पायी जाती हैं। उपर्युक्त बाह्य साक्षियों से स्पष्ट है कि द्वितीय शताब्दी के बाद के अधिकतर लेखकों ने मनुस्मृति की प्रामाणिक ग्रन्थ माना है।

२. किसने लिखी किसके लिए लिखी :मनु स्मृति में कई जगह लिखा है की यह ग्रन्थ मनु के पुत्र महाराज भृगु ने कहा था मनुस्मृति के विषय को जानना बहुत आवश्यक है, जैसा की प्रायः सभी वैदिक ग्रंथो पुराणों में होता है यह भी श्रृष्टि की रचना से प्रारंभ होता है, इस रचना के विषय में भी कोई नई बात नहीं मिलती, वही बातें हैं जो नासदीय सूक्त में हैं या भागवत में है, देवी पुराण, शिवपुराण में भी श्रष्टि की रचना बताई गयी है पर ये देव प्रधान ग्रन्थ हैं तो इनमे उन देवों से उत्पन्न बताई गयी है, मनुस्मृति में प्रथम अध्याय में फिर अद्वेत सिद्धांत पर आधारित परमात्मा एवं आत्मा की परिभाषा इत्यादि की गयी है, मैं मनुस्मृति को मूल रूप से उस कालखंड की रुल बुक कहूँगा, जिसमे चारों वर्णों की आचार संहिता, दिन चर्या का विस्तृत विवरण है यहाँ तक की शोच पश्चात् हाथ को धोने के नियम भी बताये गए हैं, दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहियेव, ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है , राजाओं को क्या करना उचित है, कैसी रण निति होनी चाहिए इत्यादि इत्यादि विस्तृत रूप से बताया गया है, मुझे कई जगहों पर प्रावधान अटपटे से लगे जैसे ब्राह्मण शुद्र को गाली दे तो २५ पण का जुरमाना यदि शुद्र ब्राह्मण को गाली दे तो जीभ काट दो, शायद इन्ही सब प्रावधानों के चलते इसे आज के दलित समाज ने इसे वहिष्कृत कर ऐसी सोच वालों को मनुवादी कहा है, मेरा मानना है की हो सकता है उस कालखंड में मनुस्मृति के लेखक को यह आवश्यक लगा हो क्योंकि सत्ता ब्राह्मणों के हाथ से खिसक रही थी, यह स्थिति तब आयी थी जब बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा था एवं बौद्ध धर्म ब्राह्मण वाद को हटा कर दलित वर्ग को संरक्षण देना चाह रहा था, उस समय ब्राह्मण वर्ग में चिंता सताने लगी एवं उस सिद्धांत को काटने के लिए मनुस्मृति का शायद लेखन हुआ हो ताकि ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे |

एक नज़र मनुस्मृति में क्या लिखा है उसे संक्षिप्त रूप से देखें तो हम स्वयम निर्णय लेंगे की जहाँ कूटनीति, राजनीती, मानव निति का समावेश है वहीँ इसमें कर्मकांड की भी भरपूर परिचर्चा है :

४. मंतव्य :मनुस्मृति के लेखन के पीछे भावना एवं मंतव्य स्पष्ट है की ब्राह्मणों के गिरते वर्चस्व को बचाने के लिए यह रुल बुक बनाई गयी एवं इसे श्रृष्टि के जनक मनु द्वारा कथित बता ज्यादा से ज्यादा लोगों को भयभीत करना था, उस समय शिक्षा का अभाव था क्या तो , ग्रंथों का अध्यन ब्राह्मण वर्ण की बपौती थी, वे जैसा चाहें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते यही हाल पुरानों का भी था, मनुस्मृति में तो यहाँ तक लिखा है की शुद्र को वेद पढने से क्या पाप लगेगा. अवश्य कई श्लोक ऐसे है जो नैतिक विकास के लिए उपयुक्त हैं ,कई श्लोकों में कूटनीति, राजनीती की उत्तम सलाह है, एक बात

और ध्यान रखने लायक है इतने वर्षों बाद यह ग्रन्थ कितना उपयोगी है यह सोचना होगा अगर इसके नीतिगत श्लोकों को रख कर बाकी को तिरोहित कर दिया जाय तो आज के युग में उपयोगी होगा, विज्ञान का विस्तृत युग है, स्त्री पुरुष के मिलन संयोग को अब कोई वर्ण एवं पंथ में घेर कर नहीं रख सकता, अतः वे सारे श्लोक अब निरस्त कर दिए जाने चाहिए |

अब मनुस्मृति के दुसरे पहलु पर चर्चा करते हैं, :

उपरोक्त चर्चा के सन्दर्भ में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ की जो मनुस्मृति श्रुति ग्रन्थ था उसे लिखित करते करते लेखक ने बहुत बदलाव कर दिए एवं अपने स्वार्थ हेतु कई श्लोकों को जोड़ दिया, दूसरी बात कुछ आधुनिक भाष्य कारों ने इस आदि ग्रन्थ को जो श्रुति ग्रन्थ था उसे तोड़मरोड़ कर पेश किया एवं ग्रन्थ को पुर्णतः शुद्र विरोधी स्त्री विरोधी बना दिया कुछ तो राजनैतिक कारण थे कुछ सामाजिक कारण थे, बाबा साहब आंबेडकर ने भी जो भाष्य किया वह त्रुटी पूर्ण था, कई श्लोकों को उन्होंने इस तरह प्रस्तुत किया की यह ग्रन्थ कुल मिलाकर एक विद्रोही ग्रन्थ बन कर रह गया, उनके तीन आक्षेप प्रमुख इस ग्रन्थ पर थे, चलिए उनको एक नज़र विवेचन करते हैं हम:
१. मनु ने जन्म के आधार पर जातिप्रथा का निर्माण किया |
२. मनु ने शूद्रों के लिए कठोर दंड का विधान किया और ऊँची जाति खासकर ब्राह्मणों के लिए विशेष प्रावधान रखे |
३. मनु नारी का विरोधी था और उनका तिरस्कार करता था | उसने स्त्रियों के लिए पुरुषों से कम अधिकार का विधान किया |
आइये अब मनुस्मृति के साक्ष्यों पर ही हम इन आक्षेपों की समीक्षा करें | इस लेख में हम पहले आरोप – मनु द्वारा जन्म आधारित जाति प्रथा के निर्माण पर विचार करेंगे |
वर्ण व्यवस्था
मनुस्मृति उस काल की है जब जन्मना जाति व्यवस्था के विचार का भी कोई अस्तित्व नहीं था | अत:मनुस्मृति जन्मना समाज व्यवस्था का कहीं भी समर्थन नहीं करती | महर्षि मनु ने मनुष्य के गुण- कर्म – स्वभाव पर आधारित समाज व्यवस्था की रचना कर के वेदों में परमात्मा द्वारा दिए गए आदेश का ही पालन किया है (देखें – ऋग्वेद-१०.१०.११-१२, यजुर्वेद-३१.१०-११, अथर्ववेद-१९.६.५-६) |
यह वर्ण व्यवस्था है | वर्ण शब्द “वृञ” धातु से बनता है जिसका मतलब है चयन या चुनना और सामान्यत: प्रयुक्त शब्द वरण भी यही अर्थ रखता है | जैसे वर अर्थात् कन्या द्वारा चुना गया पति, जिससे पता चलता है कि वैदिक व्यवस्था कन्या को अपना पति चुनने का पूर्ण अधिकार देती है |
मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था को ही बताया गया है और जाति व्यवस्था को नहीं इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में कहीं भी जाति या गोत्र शब्द ही नहीं है बल्कि वहां चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है | यदि जाति या गोत्र का इतना ही महत्त्व होता तो मनु इसका उल्लेख अवश्य करते कि कौनसी जाति ब्राह्मणों से संबंधित है, कौनसी क्षत्रियों से, कौनसी वैश्यों और शूद्रों से |
इस का मतलब हुआ कि स्वयं को जन्म से ब्राह्मण या उच्च जाति का मानने वालों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है | ज्यादा से ज्यादा वे इतना बता सकते हैं कि कुछ पीढ़ियों पहले से उनके पूर्वज स्वयं को ऊँची जाति का कहलाते आए हैं | ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सभ्यता के आरंभ से ही यह लोग ऊँची जाति के थे | जब वह यह साबित नहीं कर सकते तो उनको यह कहने का क्या अधिकार है कि आज जिन्हें

जन्मना शूद्र माना जाता है, वह कुछ पीढ़ियों पहले ब्राह्मण नहीं थे ? और स्वयं जो अपने को ऊँची जाति का कहते हैं वे कुछ पीढ़ियों पहले शूद्र नहीं थे ?

मनुस्मृति ३.१०९ में साफ़ कहा है कि अपने गोत्र या कुल की दुहाई देकर भोजन करने वाले को स्वयं का उगलकर खाने वाला माना जाए | अतः मनुस्मृति के अनुसार जो जन्मना ब्राह्मण या ऊँची जाति वाले अपने गोत्र या वंश का हवाला देकर स्वयं को बड़ा कहते हैं और मान-सम्मान की अपेक्षा रखते हैं उन्हें तिरस्कृत किया जाना चाहिए |

मनुस्मृति २. १३६: धनी होना, बांधव होना, आयु में बड़े होना, श्रेष्ठ कर्म का होना और विद्वत्ता यह पाँच सम्मान के उत्तरोत्तर मानदंड हैं | इन में कहीं भी कुल, जाति, गोत्र या वंश को सम्मान का मानदंड नहीं माना गया है |

वर्णों में परिवर्तन :

मनुस्मृति १०.६५: ब्राह्मण शूद्र बन सकता और शूद्र ब्राह्मण हो सकता है | इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं |

मनुस्मृति ९.३३५: शरीर और मन से शुद्ध- पवित्र रहने वाला, उत्कृष्ट लोगों के सानिध्य में रहने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला शूद्र भी उत्तम ब्रह्म जन्म और द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है |

मनुस्मृति के अनेक श्लोक कहते हैं कि उच्च वर्ण का व्यक्ति भी यदि श्रेष्ट कर्म नहीं करता, तो शूद्र (अशिक्षित) बन जाता है |

उदाहरण-

२.१०३: जो मनुष्य नित्य प्रात: और सांय ईश्वर आराधना नहीं करता उसको शूद्र समझना चाहिए |

२.१७२: जब तक व्यक्ति वेदों की शिक्षाओं में दीक्षित नहीं होता वह शूद्र के ही समान है |

४.२४५ : ब्राह्मण- वर्णस्थ व्यक्ति श्रेष्ट – अति श्रेष्ट व्यक्तियों का संग करते हुए और नीच- नीचतर व्यक्तिओं का संग छोड़कर अधिक श्रेष्ट बनता जाता है | इसके विपरीत आचरण से पतित होकर वह शूद्र बन जाता है | अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मण उत्तम कर्म करने वाले विद्वान व्यक्ति को कहते हैं और शूद्र का अर्थ अशिक्षित व्यक्ति है | इसका, किसी भी तरह जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं है |

२.१६८: जो ब्राह्मण,क्षत्रिय या वैश्य वेदों का अध्ययन और पालन छोड़कर अन्य विषयों में ही परिश्रम करता है, वह शूद्र बन जाता है | और उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी वेदों के ज्ञान से वंचित होना पड़ता है | अतः मनुस्मृति के अनुसार तो आज भारत में कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सारे लोग जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, स्वार्थ साधना, अन्धविश्वास, विवेकहीनता, लिंग-भेद, चापलूसी, अनैतिकता इत्यादि में लिप्त हैं – वे सभी शूद्र हैं |

२ .१२६: भले ही कोई ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वह अभिवादन का शिष्टता से उत्तर देना नहीं जानता तो वह शूद्र (अशिक्षित व्यक्ति) ही है |

शूद्र भी पढ़ा सकते हैं :

शूद्र भले ही अशिक्षित हों तब भी उनसे कौशल और उनका विशेष ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए |

२.२३८: अपने से न्यून व्यक्ति से भी विद्या को ग्रहण करना चाहिए और नीच कुल में जन्मी उत्तम स्त्री को भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए|

२.२४१ : आवश्यकता पड़ने पर अ-ब्राह्मण से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है और शिष्यों को पढ़ाने के दायित्व का पालन वह गुरु जब तक निर्देश दिया गया हो तब तक करे |

ब्राह्मणत्व का आधार कर्म :

मनु की वर्ण व्यवस्था जन्म से ही कोई वर्ण नहीं मानती | मनुस्मृति के अनुसार माता-पिता को बच्चों के बाल्यकाल में ही उनकी रूचि और प्रवृत्ति को पहचान कर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज देना चाहिए |
कई ब्राह्मण माता – पिता अपने बच्चों को ब्राह्मण ही बनाना चाहते हैं परंतु इस के लिए व्यक्ति में ब्रह्मणोचित गुण, कर्म,स्वभाव का होना अति आवश्यक है| ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने मात्र से या ब्राह्मणत्व का प्रशिक्षण किसी गुरुकुल में प्राप्त कर लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, जब तक कि उसकी योग्यता, ज्ञान और कर्म ब्रह्मणोचित न हों |
२.१५७ : जैसे लकड़ी से बना हाथी और चमड़े का बनाया हुआ हरिण सिर्फ़ नाम के लिए ही हाथी और हरिण कहे जाते हैं वैसे ही बिना पढ़ा ब्राह्मण मात्र नाम का ही ब्राह्मण होता है |
२.२८: पढने-पढ़ाने से, चिंतन-मनन करने से, ब्रह्मचर्य, अनुशासन, सत्यभाषण आदि व्रतों का पालन करने से, परोपकार आदि सत्कर्म करने से, वेद, विज्ञान आदि पढने से, कर्तव्य का पालन करने से, दान करने से और आदर्शों के प्रति समर्पित रहने से मनुष्य का यह शरीर ब्राह्मण किया जाता है |
शिक्षा ही वास्तविक जन्म :
मनु के अनुसार मनुष्य का वास्तविक जन्म विद्या प्राप्ति के उपरांत ही होता है | जन्मतः प्रत्येक मनुष्य शूद्र या अशिक्षित है | ज्ञान और संस्कारों से स्वयं को परिष्कृत कर योग्यता हासिल कर लेने पर ही उसका दूसरा जन्म होता है और वह द्विज कहलाता है | शिक्षा प्राप्ति में असमर्थ रहने वाले शूद्र ही रह जाते हैं |
यह पूर्णत: गुणवत्ता पर आधारित व्यवस्था है, इसका शारीरिक जन्म या अनुवांशिकता से कोई लेना-देना नहीं है|
२.१४८ : वेदों में पारंगत आचार्य द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के उपरांत ही उसका वास्तविक मनुष्य जन्म होता है | यह जन्म मृत्यु और विनाश से रहित होता है |ज्ञानरुपी जन्म में दीक्षित होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है| यही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है| सुशिक्षा के बिना मनुष्य ‘ मनुष्य’ नहीं बनता|
इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होने की बात तो छोडो जब तक मनुष्य अच्छी तरह शिक्षित नहीं होगा तब तक उसे मनुष्य भी नहीं माना जाएगा |
२.१४६ : जन्म देने वाले पिता से ज्ञान देने वाला आचार्य रूप पिता ही अधिक बड़ा और माननीय है, आचार्य द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान मुक्ति तक साथ देता हैं | पिताद्वारा प्राप्त शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाता हैं|
२.१४७ : माता- पिता से उत्पन्न संतति का माता के गर्भ से प्राप्त जन्म साधारण जन्म है| वास्तविक जन्म तो शिक्षा पूर्ण कर लेने के उपरांत ही होता है|
अत: अपनी श्रेष्टता साबित करने के लिए कुल का नाम आगे धरना मनु के अनुसार अत्यंत मूर्खतापूर्ण कृत्य है | अपने कुल का नाम आगे रखने की बजाए व्यक्ति यह दिखा दे कि वह कितना शिक्षित है तो बेहतर होगा |
१०.४: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन वर्ण विद्याध्ययन से दूसरा जन्म प्राप्त करते हैं | विद्याध्ययन न कर पाने वाला शूद्र, चौथा वर्ण है | इन चार वर्णों के अतिरिक्त आर्यों में या श्रेष्ट मनुष्यों में पांचवा कोई वर्ण नहीं है |
इस का मतलब है कि अगर कोई अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया तो वह दुष्ट नहीं हो जाता | उस के कृत्य यदि भले हैं तो वह अच्छा इन्सान कहा जाएगा | और अगर वह शिक्षा भी पूरी कर ले तो वह भी द्विज गिना जाएगा | अत: शूद्र मात्र एक विशेषण है, किसी जाति विशेष का नाम नहीं |
‘नीच’ कुल में जन्में व्यक्ति का तिरस्कार नहीं :

किसी व्यक्ति का जन्म यदि ऐसे कुल में हुआ हो, जो समाज में आर्थिक या अन्य दृष्टी से पनप न पाया हो तो उस व्यक्ति को केवल कुल के कारण पिछड़ना न पड़े और वह अपनी प्रगति से वंचित न रह जाए, इसके लिए भी महर्षि मनु ने नियम निर्धारित किए हैं |

४.१४१: अपंग, अशिक्षित, बड़ी आयु वाले, रूप और धन से रहित या निचले कुल वाले, इन को आदर और / या अधिकार से वंचित न करें | क्योंकि यह किसी व्यक्ति की परख के मापदण्ड नहीं हैं|

प्राचीन इतिहास में वर्ण परिवर्तन के उदाहरण :

ब्राह्मण, क्षत्रिय,वैश्य और शूद्र वर्ण की सैद्धांतिक अवधारणा गुणों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं | यह बात सिर्फ़ कहने के लिए ही नहीं है, प्राचीन समय में इस का व्यवहार में चलन था | जब से इस गुणों पर आधारित वैज्ञानिक व्यवस्था को हमारे दिग्भ्रमित पुरखों ने मूर्खतापूर्ण जन्मना व्यवस्था में बदला है, तब से ही हम पर आफत आ पड़ी है जिस का सामना आज भी कर रहें हैं|

वर्ण परिवर्तन के कुछ उदाहरण –

(a) ऐतरेय ऋषि दास अथवा अपराधी के पुत्र थे | परन्तु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद की रचना की | ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना जाता है |

(b) ऐलूष ऋषि दासी पुत्र थे | जुआरी और हीन चरित्र भी थे | परन्तु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसन्धान करके अनेक अविष्कार किये |ऋषियों ने उन्हें आमंत्रित कर के आचार्य पद पर आसीन किया | (ऐतरेय ब्राह्मण २.१९)

(c) सत्यकाम जाबाल गणिका (वेश्या) के पुत्र थे परन्तु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए |

(d) राजा दक्ष के पुत्र पृषध शूद्र हो गए थे, प्रायश्चित स्वरुप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया | (विष्णु पुराण ४.१.१४)

अगर उत्तर रामायण की मिथ्या कथा के अनुसार शूद्रों के लिए तपस्या करना मना होता तो पृषध ये कैसे कर पाए?

(e) राजा नेदिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए | पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया | (विष्णु पुराण ४.१.१३)

(f) धृष्ट नाभाग के पुत्र थे परन्तु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया | (विष्णु पुराण ४.२.२)

(g) आगे उन्हींके वंश में पुनः कुछ ब्राह्मण हुए | (विष्णु पुराण ४.२.२)

(h) भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवेश्य ब्राह्मण हुए |

(i) विष्णुपुराण और भागवत के अनुसार रथोतर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने |

(j) हारित क्षत्रियपुत्र से ब्राह्मण हुए | (विष्णु पुराण ४.३.५)

(k) क्षत्रियकुल में जन्में शौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया | (विष्णु पुराण ४.८.१) वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के हुए| इसी प्रकार गृत्समद, गृत्समति और वीतहव्य के उदाहरण हैं |

(l) मातंग चांडालपुत्र से ब्राह्मण बने |

(m) ऋषि पुलस्त्य का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना |

(n) राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुआ |

(o) त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गए थे |

(p) विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया | विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे परन्तु बाद उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया |

(q) विदुर दासी पुत्र थे | तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद सुशोभित किया |
(r) वत्स शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ऋषि बने (ऐतरेय ब्राह्मण २.१९) |
(s) मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोकों से भी पता चलता है कि कुछ क्षत्रिय जातियां, शूद्र बन गईं | वर्ण परिवर्तन की साक्षी देने वाले यह श्लोक मनुस्मृति में बहुत बाद के काल में मिलाए गए हैं | इन परिवर्तित जातियों के नाम हैं – पौण्ड्रक, औड्र, द्रविड, कम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्हव, चीन, किरात, दरद, खश |
(t) महाभारत अनुसन्धान पर्व (३५.१७-१८) इसी सूची में कई अन्य नामों को भी शामिल करता है – मेकल, लाट, कान्वशिरा, शौण्डिक, दार्व, चौर, शबर, बर्बर|
(u) आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलितों में समान गोत्र मिलते हैं | इस से पता चलता है कि यह सब एक ही पूर्वज, एक ही कुल की संतान हैं | लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गई और यह लोग अनेक जातियों में बंट गए |

शूद्रों के प्रति आदर :

मनु परम मानवीय थे| वे जानते थे कि सभी शूद्र जानबूझ कर शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते | जो किसी भी कारण से जीवन के प्रथम पर्व में ज्ञान और शिक्षा से वंचित रह गया हो, उसे जीवन भर इसकी सज़ा न भुगतनी पड़े इसलिए वे समाज में शूद्रों के लिए उचित सम्मान का विधान करते हैं | उन्होंने शूद्रों के प्रति कभी अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि मनुस्मृति में कई स्थानों पर शूद्रों के लिए अत्यंत सम्मानजनक शब्द आए हैं |

मनु की दृष्टी में ज्ञान और शिक्षा के अभाव में शूद्र समाज का सबसे अबोध घटक है, जो परिस्थितिवश भटक सकता है | अत: वे समाज को उसके प्रति अधिक सहृदयता और सहानुभूति रखने को कहते हैं |

कुछ और उदात्त उदाहरण देखें –

३.११२: शूद्र या वैश्य के अतिथि रूप में आ जाने पर, परिवार उन्हें सम्मान सहित भोजन कराए |

३.११६: अपने सेवकों (शूद्रों) को पहले भोजन कराने के बाद ही दंपति भोजन करें |

२.१३७: धन, बंधु, कुल, आयु, कर्म, श्रेष्ट विद्या से संपन्न व्यक्तियों के होते हुए भी वृद्ध शूद्र को पहले सम्मान दिया जाना चाहिए |

मनुस्मृति वेदों पर आधारित :

वेदों को छोड़कर अन्य कोई ग्रंथ मिलावटों से बचा नहीं है | वेद प्रक्षेपों से कैसे अछूते रहे, जानने के लिए ‘ वेदों में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता ? ‘ पढ़ें | वेद ईश्वरीय ज्ञान है और सभी विद्याएँ उसी से निकली हैं | उन्हीं को आधार मानकर ऋषियों ने अन्य ग्रंथ बनाए| वेदों का स्थान और प्रमाणिकता सबसे ऊपर है और उनके रक्षण से ही आगे भी जगत में नए सृजन संभव हैं | अत: अन्य सभी ग्रंथ स्मृति, ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, गीता, उपनिषद, आयुर्वेद, नीतिशास्त्र, दर्शन इत्यादि को परखने की कसौटी वेद ही हैं | और जहां तक वे वेदानुकूल हैं वहीं तक मान्य हैं |

मनु भी वेदों को ही धर्म का मूल मानते हैं (२.८-२.११)

२.८: विद्वान मनुष्य को अपने ज्ञान चक्षुओं से सब कुछ वेदों के अनुसार परखते हुए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए |

इस से साफ़ है कि मनु के विचार, उनकी मूल रचना वेदानुकूल ही है और मनुस्मृति में वेद विरुद्ध मिलने वाली मान्यताएं प्रक्षिप्त मानी जानी चाहियें |

शूद्रों को भी वेद पढने और वैदिक संस्कार करने का अधिकार :

वेद में ईश्वर कहता है कि मेरा ज्ञान सबके लिए समान है चाहे पुरुष हो या नारी, ब्राह्मण हो या शूद्र सबको वेद पढने और यज्ञ करने का अधिकार है |

देखें – यजुर्वेद २६.१, ऋग्वेद १०.५३.४, निरुक्त ३.८ इत्यादि
और मनुस्मृति भी यही कहती है | मनु ने शूद्रों को उपनयन (विद्या आरंभ) से वंचित नहीं रखा है | इसके विपरीत उपनयन से इंकार करने वाला ही शूद्र कहलाता है |
वेदों के ही अनुसार मनु शासकों के लिए विधान करते हैं कि वे शूद्रों का वेतन और भत्ता किसी भी परिस्थिति में न काटें (७.१२-१२६, ८.२१६) |
संक्षेप में –
मनु को जन्मना जाति – व्यवस्था का जनक मानना निराधार है | इसके विपरीत मनु मनुष्य की पहचान में जन्म या कुल की सख्त उपेक्षा करते हैं | मनु की वर्ण व्यवस्था पूरी तरह गुणवत्ता पर टिकी हुई है |
प्रत्येक मनुष्य में चारों वर्ण हैं – ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र | मनु ने ऐसा प्रयत्न किया है कि प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान जो सबसे सशक्त वर्ण है – जैसे किसी में ब्राह्मणत्व ज्यादा है, किसी में क्षत्रियत्व, इत्यादि का विकास हो और यह विकास पूरे समाज के विकास में सहायक हो |
अगले लेखों में हम मनु पर थोपे गए अन्य आरोप जैसे शूद्रों के लिए कठोर दंड विधान तथा स्त्री विरोधी होने की सच्चाई को जानेंगे |
लेकिन मनु पाखंडी और आचरणहीनों के लिए क्या कहते हैं, यह भी देख लेते हैं –
४.३०: पाखंडी, गलत आचरण वाले, छली – कपटी, धूर्त, दुराग्रही, झूठ बोलने वाले लोगों का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना चाहिए |
जन्मना जाति व्यवस्था को मान्य करने की प्रथा एक सभ्य समाज के लिए कलंक है और अत्यंत छल-कपट वाली, विकृत और झूठी व्यवस्था है | वेद और मनु को मानने वालों को इस घिनौनी प्रथा का सशक्त प्रतिकार करना चाहिए | शब्दों में भी उसके प्रति अच्छा भाव रखना मनु के अनुसार घृणित कृत्य है |
शास्त्रों का प्रक्षिप्त होना
आज मिलने वाली मनुस्मृति में बड़ी मात्रा में मनमाने प्रक्षेप पाए जाते हैं, जो बहुत बाद के काल में मिलाए गए | वर्तमान मनुस्मृति लगभग आधी नकली है| सिर्फ़ मनुस्मृति ही प्रक्षिप्त नहीं है | वेदों को छोड़ कर जो अपनी अद्भुत स्वर और पाठ रक्षण पद्धतियों के कारण आज भी अपने मूल स्वरुप में है, लगभग अन्य सभी सम्प्रदायों के ग्रंथों में स्वाभाविकता से परिवर्तन, मिलावट या हटावट की जा सकती है | जिनमें रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान इत्यादि भी शामिल हैं | भविष्य पुराण में तो मिलावट का सिलसिला छपाई के आने तक चलता रहा |
आज रामायण के तीन संस्करण मिलते हैं – १. दाक्षिणात्य २. पश्चिमोत्तरीय ३. गौडीय और यह तीनों ही भिन्न हैं | गीता प्रेस, गोरखपुर ने भी रामायण के कई सर्ग प्रक्षिप्त नाम से चिन्हित किए हैं | कई विद्वान बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड के अधिकांश भाग को प्रक्षिप्त मानते हैं |
महाभारत भी अत्यधिक प्रक्षिप्त हो चुका ग्रंथ है | गरुड़ पुराण (ब्रह्मकांड १.५४) में कहा गया है कि कलियुग के इस समय में धूर्त स्वयं को ब्राह्मण बताकर महाभारत में से कुछ श्लोकों को निकाल रहे हैं और नए श्लोक बना कर डाल रहे हैं |
महाभारत का शांतिपर्व (२६५.९,४) स्वयं कह रहा है कि वैदिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से शराब, मछली, मांस का निषेध करते हैं | इन सब को धूर्तों ने प्रचलित कर दिया है, जिन्होंने कपट से ऐसे श्लोक बनाकर शास्त्रों में मिला दिए हैं |
मूल बाइबल जिसे कभी किसी ने देखा हो वह आज अस्तित्व में ही नहीं है | हमने उसके अनुवाद के अनुवाद के अनुवाद ही देखे हैं |
कुरान भी मुहम्मद के उपदेशों की परिवर्तित आवृत्ति ही है, ऐसा कहा जाता है |

इसलिए इस में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मनुस्मृति जो सामाजिक व्यवस्थाओं पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी अनेक परिवर्तन किए गए हों | यह सम्भावना अधिक इसलिए है कि मनुस्मृति सर्व साधारण के दैनिक जीवन को, पूरे समाज को और राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला ग्रंथ रहा है | यदि देखा जाए तो सदियों तक वह एक प्रकार से मनुष्य जाति का संविधान ही रहा है | इसलिए धूर्तों और मक्कारों के लिए मनु स्मृति में प्रक्षेप करने के बहुत सारे प्रलोभन थे |

मनुस्मृति का पुनरावलोकन करने पर चार प्रकार के प्रक्षेप दिखायी देते हैं – विस्तार करने के लिए, स्वप्रयोजन की सिद्धी के लिए, अतिश्योक्ति या बढ़ा- चढ़ा कर बताने के लिए, दूषित करने के लिए| अधिकतर प्रक्षेप सीधे- सीधे दिख ही रहे हैं |

डा. सुरेन्द्र कुमार ने मनु स्मृति का विस्तृत और गहन अध्ययन किया है | जिसमें प्रत्येक श्लोक का भिन्न- भिन्न रीतियों से परीक्षण और पृथक्करण किया है ताकि प्रक्षिप्त श्लोकों को अलग से जांचा जा सके | उन्होंने मनुस्मृति के २६८५ में से १४७१ श्लोक प्रक्षिप्त पाए हैं |

प्रक्षेपों का वर्गीकरण वे इस प्रकार करते हैं –

– विषय से बाहर की कोई बात हो |

– संदर्भ से विपरीत हो या विभिन्न हो |

– पहले जो कहा गया, उसके विरुद्ध हो या पूर्वापार सम्बन्ध न हो |

– पुनरावर्तन हो |

– भाषा की विभिन्न शैली और प्रयोग हो |

– वेद विरुद्ध हो |

इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए, मनुस्मृति के गहन और निष्पक्ष अध्ययन के लिए डा. सुरेन्द्र कुमार द्वारा लिखित मनुस्मृति (प्रकाशित-आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट,दिल्ली) अवश्य पढ़ें |

डा.सुरेन्द्र कुमार ही नहीं बल्कि बहुत से पाश्चात्य विद्वान जैसे मैकडोनल, कीथ, बुलहर इत्यादि भी मनुस्मृति में मिलावट मानते हैं |

डा. अम्बेडकर भी प्राचीन ग्रंथों में मिलावट स्वीकार करते हैं | वे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण और वेदों तक में भी प्रक्षेप मानते हैं | मनुस्मृति के परस्पर विरोधी, असंगत श्लोकों को उन्होंने कई स्थानों पर दिखाया भी है | वे जानते थे कि मनुस्मृति में कहां -कहां प्रक्षेप हैं | लेकिन वे जानबूझ कर इन श्लोकों को प्रक्षिप्त कहने से बचते रहे क्योंकि उन्हें अपना मतलब सिद्ध करना था | उनके इस पक्षपाती व्यवहार ने उन्हें दलितों का नायक जरूर बना दिया | इस तरह मनुविरोध को बढ़ावा देकर उन्होंने अपना और कई लोगों का राजनीतिक हित साधा | उनकी इस मतान्धता ने समाज में विद्वेष का ज़हर ही घोला है और एक सच्चे नायक मनु को सदा के लिए खलनायक बना दिया |

इसी तरह स्वामी अग्निवेश जो अपने आप को आर्यसमाजी बताते हैं, अपनी अनुकूलता के लिए ही यह भूलते हैं कि महर्षि दयानंद ने जो समाज की रचना का सपना देखा था वह महर्षि मनु की वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही था | और उन्होंने प्रक्षिप्त हिस्सों को छोड़ कर अपने ग्रंथों में सर्वाधिक प्रमाण (५१४ श्लोक) मनुस्मृति से दिए हैं | स्वामी अग्निवेश ने भी सिर्फ़ राजनीतिक प्रसिद्धि पाने के लिये ही मनुस्मृति का दहन किया |

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना से यह ज्ञात होता है की

1. मनुस्मृति श्रुति ग्रन्थ है, जो मनु-पुत्र भृगु ने श्रृष्टि के रचियेता मनु के विचारों एवं सिद्धांतों को बताया

2. आधुनिक युग में जो मनुस्मृति का ग्रन्थ उपलब्ध है उसमे बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ कर प्रक्षिप्त किया गया है वह विभिन्न उद्देश्यों से २०० वी सदी के आस पास के ब्राह्मणों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं वर्चस्व के लिए किया है
3. मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रन्थ है जिसमे निति शास्त्र, कूटनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, का सुन्दर समावेश है
4. मनुस्मृति मुख्य रूप से वेदों पर आधारित जीवन नियमावली या कहें की रुल बुक है
5. आधुनिक मनुस्मृति में जो सूक्त/मन्त्र/श्लोक आधुनिक युग में अप्रस्न्गीय हो गए हैं उन्हें निरस्त कर देना चाहिए , एवं प्रक्षिप्त श्लोकों को भी अलग कर मूल ग्रन्थ पर आ जाना चाहिए |

शूद्रों के ब्राह्मण कुल में प्रवेश पाने के उदाहरण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की सैद्धांतिक अवधारणा गुणों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं । यह बात सिर्फ़ कहने के लिए ही नहीं हैं, प्राचीन समय में इस का व्यवहार में चलन था । जब से इस गुणों पर आधारित वैज्ञानिक व्यवस्था को हमारे दिग्भ्रमित पुरखों ने मूर्खतापूर्ण जन्मना व्यवस्था में बदला है, तब से ही हम पर आफत आ पड़ी है जिस का सामना आज भी कर रहें हैं ।वर्ण परिवर्तन के कुछ उदाहरण – (1) ऐतरेय ऋषि दास अथवा अपराधी के पुत्र थे । परन्तु उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद की रचना की ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना जाता है । (2) ऐलूष ऋषि दासी पुत्र थे । जुआरी और हीन चरित्र भी थे । परन्तु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसन्धान करके अनेक अविष्कार किये । ऋषियों ने उन्हें आमंत्रित कर के आचार्य पद पर आसीन किय (ऐतरेय ब्राह्मण २.१९)(3) सत्यकाम जाबाल गणिका (वेश्या) के पुत्र थे परन्तु वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए (4) राजा दक्ष के पुत्र पृषध शूद्र हो गए थे, प्रायश्चित स्वरुप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया (विष्णु पुराण ४.१.१४)
अगर उत्तर रामायण की मिथ्या कथा के अनुसार शूद्रों के लिए तपस्या करना मना होता तो पृषध ये कैसे कर पाए?
(5) राजा नेदिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया (विष्णु पुराण ४.१.१३)(6) धृष्ट नाभाग के पुत्र थे परन्तु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया (विष्णु पुराण ४.२.२)(7) आगे उन्हींके वंश में पुनः कुछ ब्राह्मण हुए (विष्णु पुराण ४.२.२)(8) भागवत के अनुसार राजपुत्र अग्निवेश्य ब्राह्मण हुए (9) विष्णुपुराण और भागवत के अनुसार रथोतर क्षत्रिय से ब्राह्मण बने(10) हारित क्षत्रियपुत्र से ब्राह्मण हुए (विष्णु पुराण ४.३.५)(11) क्षत्रियकुल में जन्मे शौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया| (विष्णु पुराण ४.८.१) वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि शौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण,क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के हुए । इसी प्रकार गृत्समद, गृत्समति और वीतहव्य के उदाहरण हैं (12) मातंग चांडालपुत्र से ब्राह्मण बने(13) ऋषि पुलस्त्य का पौत्र रावण अपने कर्मों से राक्षस बना(14) राजा रघु का पुत्र प्रवृद्ध राक्षस हुआ
(15) त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चांडाल बन गए थे(16) विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे परन्तु बाद उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया(17) विदुर दासी पुत्र थे तथापि वे ब्राह्मण हुए और उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद सुशोभित किया(18) वत्स शूद्र कुल में उत्पन्न होकर भी ऋषि बने (ऐतरेय ब्राह्मण २.१९)
(19) मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोकों से भी पता चलता है कि कुछ क्षत्रिय जातियां, शूद्र

बन गईं वर्ण परिवर्तन की साक्षी देने वाले ह श्लोक मनुस्मृति में बहुत बाद के काल में मिलाए गए हैं इन परिवर्तित जातियों के नाम हैं – पौण्ड्रक, औड्र, द्रविड, कम्बोज,यवन, शक, पारद, पल्हव, चीन, किरात, दरद, खश(20) महाभारत अनुसन्धान पर्व (३५.१७-१८) इसी सूची में कई अन्य नामों को भी शामिल करता है – मेकल, लाट, कान्वशिरा, शौण्डिक, दार्व, चौर, शबर, बर्बर(21) आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलितों में समान गोत्र मिलते हैं इस से पता चलता है कि यह सब एक ही पूर्वज, एक ही कुल की संतान हैं लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था गड़बड़ा गई और यह लोग अनेक जातियों में बंट गए